

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

13-6-78

पुत्रावली राजस्व बोर्ड सदस्य 2018 का  
पं-डुली में पेश हुआ अवलोकन किया गया।  
प्रतिवादी का के विद्वय पूर्व में एक तरफ  
कार्रवाई की जा चुकी है। अतः जारी का  
बाद लोड जुदालत की शर्तों के स्वीकार  
किया जाता है। प्रतिवादी को जरिमे  
स्थानी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है  
जिसके वादवर्तिता क्रम सं-नं 1106 रकबा 0-12  
बीबा वरुण ग्राम डुली में खिती प्रकार  
की बाधा मजहमत नहीं करें। पाबन्द  
रहें। पचा डिक्री जारी है। पुत्रावली में जल  
शुमार होकर नम्बर के कम हो तथा दफ्तर  
दाखिल है।

~~31~~  
31  
13/6/78  
वेम कोर्ट, पुत्रावली  
उपजज न्यायकरी  
विजय, पिछा टोंड

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाड़  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- उपखण्ड अधिकारी निवाड़

दावा बाबत... श्यामी निषेधाज्ञा बीबी श्यामी निषेधाज्ञा श्यामी निषेधाज्ञा  
मुकदमा नम्बर :- 50/2012  
निर्णय दिनांक :- 13-6-18

वादी की ओर से... की व प्रतिवादी की ओर से...  
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13-6-18 को श्यामी (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

श्यामी का वाद लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाता है प्रतिवादीगण को जसमें श्यामी निषेधाज्ञा पावन किया जाता है कि वादवर्षित शक्ति ख-न- 1106 खका 0-12 खीषा वरु श्यामी गुणी में किसी प्रकार की बाधा मजबूत नहीं करे पावन रहे।

खर्चा पक्षकारान्त अपना - अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 13-6-18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

3/13/6/18  
पीठासीन अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर, निवाड़  
कैम्प कोर्ट गुन्सी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रूपया	रूपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
प्रदेशों के लिए स्टाम्प		प्लीड की फीस
.....रुपये प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील
कमीश्नर की फीस		कमीश्नर की फीस
आदेशिका की तामील		
जोड़े		जोड़े

पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलेक्टर, निवाड़